14.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप. स्थगन प्रार्थना–पत्र पर पूर्व में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी के पूर्वज मंगलाजी द्वारा नाबालिग भंवरलाल के नाम से खरीद की थी एवं उसके प्रतिफल की रकम अपीलांटगण के पूर्वज मंगलाजी द्वारा अदा की गयी, जिससे वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिस बाबत वाद विचाराधीन है। अपीलाधीन आराजी को रेस्पोडेंटगण बेचान करने पर आमादा है यदि रेस्पोडेंटगण अपने मकसद में सफल हो जाते है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–AIR1995 SC Page 297, AIR2003 SC Page 3800

कवियटर अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। यह सम्पति उसके पिता ने अवश्य कीमत चुका कर खरीदी है परन्तु पुश्तैनी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आराजी पैतृक नहीं होकर रेस्पोडेंट की स्वर्जित संपति है। रेस्पोडेंट अपनी स्वर्जित संपति को बेचान करने एवं उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आराजी पैतृक नहीं होकर रेस्पोडेंट द्वारा स्वर्जित है प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अपीलाधीन आराजी का रेस्पोडेंट रिकॉर्डेड खातेदार होने से उसको बेचान से वंचित किया जाना उसके खातेदारी अधिकारों का हनन है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलांटगण द्वारा पेश स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर